संख्या-448/2025/001/1371/25-27-सिं0-9-90 एस0ए0वी0/23

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ, दिनांकः 02 सितम्बर, 2025**

विषयः गोण्डा शाखा के किमी0 0.000 से 40.000 तक तथा तरबगंज शाखा के किमी0 0.000 से 35.000 के मध्य तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणालियों एवं गिलौला स्केप के किमी0 0.000 से किमी0 12.000 के क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के मरम्मत कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1262/1129/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 14-08-2025, एवं शासनादेश संख्या-560/2024/001/1813/24-27-सिं0-9-90 एसएवी/23 दिनांक-08.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिकानुसार **गोण्डा शाखा के किमी0 0.000 से 40.000 तक तथा तरबगंज शाखा के किमी0 0.000 से 35.000 के मध्य तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणालियों एवं गिलौला स्केप के किमी0 0.000 से किमी0 12.000 के क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के मरम्मत कार्य की परियोजना** की अनुमोदित लागत धनराशि रू0 255.54 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-17-051-10-14-24 के **अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रू0 22.12 लाख (रू0 बाईस लाख बारह हजार मात्र)** परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से व्यय वहन किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(आंकड़े लाख रूपये में)

क0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन(a)/क्रमिक व्यय(b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत सापेक्ष) 7-9(b)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गोण्डा शाखा के किमी0 0.000 से 40.000 तक तथा तरबगंज शाखा के किमी0 0.000 से 35.000 के मध्य तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणालियों एवं गिलौला स्केप के किमी0 0.000 से किमी0 12.000 के क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के मरम्मत कार्य की परियोजना	94/4700-17-051-10-14-24	22.12	शा0पत्र सं0-560/2024/001/1813/24-27-सिं0-9-90 एसएवी/23 दिनांक-08.10.2024	(a) 255.54 (b) 213.14	253.64	1.90	231.52/ 231.52	22.12	94/4700-17-051-10-14-24	22.12

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27.03.2025, एवं वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/ 2023/ए-2/60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2/66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 22,12,000.00 (रू0 बाईस लाख बारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक-4700170511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (सरयू-परि0 प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या ।

(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(8) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in